न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016 निगरानी नि ग 5594-I-16

लखनसिंह आत्मज भगवान सिंह रघुवंशी

निवासी ग्राम– बिहारीपुर(तमोस) तहसील– बासौदा

जिला– विदिशा ---------------- आवेदक

विरूद्ध

दौलतसिंह आत्मज दलसिंह रघुवंशी

निवासी ग्राम– चंन्दा छाना तहसील –सिरोंज

जिला– विदिशा ---------- अनावेदक

अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला– विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 53/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 07–10–2016 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता 1959.

माननीय न्यायालय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय की कार्यवाही एवं आदेश अवैध अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.
2. यह कि, प्रकरण में विवादित भूमि की भूमिस्वामी भगवती बाई थी जो कि आवेदक की बुआ थी. भगवती बाई की मृत्यु के पश्चात आवेदक ने तहसील न्यायालय के समक्ष वसियतनामा के आधार अपना नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया. तहसील न्यायायल द्वारा विधिवत उभय पक्षों की साक्ष्य एवं प्रकरण मे प्राप्त दस्तावेजो का अवलोकन कर आवेदक की वसियत को प्रमाणित मानते हूए आवेदक का नामान्तरण किये जाने के आदेश प्रदान किये गये.
3. यह कि, तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक की और से प्रस्तुत अपील में अनावेदक द्वारा वसियत के साक्ष्य आदि के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत करते हूए तहसील न्यायालय की आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया.
4. यह कि अनावेदक द्वारा अपील में ...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3594-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/10/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। अनावेदक पूर्व से अनुपस्थित हैं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20-12-18 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	